(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 36/1995 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–1995 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 50/1994–95 स्वमेव निगरानी

1– रामगोपाल 2– मुंशी सिंह
3– रामलखन 5– रामहेत
पुत्रगण चतुरसिंह गुर्जर
निवासीगण ग्राम चिरोंजी
तहसील गोहद जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 17 – 2 – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 50/1994–95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश 15–12–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रचलित प्र.क. 148/1993–94

निगरानी में यह तथ्य ध्यान में आया कि ग्राम घिरोंगी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 153 रकबा 26 वीघा 5 विसवा (आगे जिसे वाग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) नोईयत शासकीय बीड़ भूमि को अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने कलेक्टर भिण्ड की अनुमति लिये बिना प्रकरण क्रमांक 15/1986-87 X 234 में पारित आदेश दिनांक 16-4-1987 से काविलकास्त घोषित कर दी। तदुपरांत वादग्रस्त भूमि का आवंटन आवेदकगण के हित में कर दिया गया। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण क्रमांक 15/1986-87 X 234 में पारित आदेश दिनांक 16-4-1987 पर स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज किया तथा आवेदकगण की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15-12-1995 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के आदेश दिनांक 16-4-1987 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/1986-87 X 234 में पारित आदेश दिनांक 16-4-1987 के पूर्व वादग्रस्त भूमि बीड़ नोईयत की दर्ज होकर शासकीय भूमि रही है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 234 मात्र यह व्यवस्था करती है कि जब कलेक्टर संहिता की धारा 237 में किसी भूमि के मद परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करते हैं

तब अनुविभागीय अधिकारी मात्र धारा 234 में शासकीय अभिलेख में कलेक्टर के आदेश का अमल कराते हैं जबकि विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने प्रकरण क्रमांक 15/1986-87 X 234 में पारित आदेश दिनांक 16-4-1987 से स्वस्तर से वादग्रस्त बीड़ भूमि की नोईयत परिवर्तन कर शासकीय अभिलेख में अमल कराया है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी गोहद व्दारा अधिकारविहीन कार्यवाही की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/1994-95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश 15-12-1995 से अनुविभागीय अधिकारी गोहद के आदेश दिनांक 16-4-1987 को निरस्त करने में किसी भी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/1994-95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश 15-12-1995 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर